



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-370-कार्य-चौदह/पाकालि/2022/3-के/2000

दिनांक: 17 फरवरी, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय के नियंत्रणाधीन इकाइयों के अन्तर्गत क्रय/कार्य के प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण एवं प्रकाशन की अनुमति आदि के सम्बन्ध में क्रय/कार्य की समिति एवं स्तर के प्राधिकार तथा परिसीमायें एतद्वारा निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं:-

1) भण्डार क्रय/कार्य समिति के अधिकार -

(A) सामग्री क्रय/कार्य के 10 करोड़ से अधिक के समस्त प्रकरण कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2013/कार्य/चौदह-पाकालि/2019-3-के/2000 दिनांक 13.01.2020 द्वारा गठित केन्द्रीय भण्डार क्रय/कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(B) सामग्री क्रय/कार्य के 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के समस्त प्रकरण कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-604/कार्य/चौदह-पाकालि/2016-3-के/2000 दिनांक 06.06.2016 द्वारा गठित प्रबन्ध निदेशक भण्डार क्रय/कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(C) सामग्री क्रय/कार्य के 10 लाख से 1 करोड़ तक के समस्त प्रकरण निम्नानुसार गठित निदेशक, क्रय/कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे :-

- | | |
|--|-----------|
| (i) निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 | - अध्यक्ष |
| (ii) निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 | - सदस्य |
| (iii) अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा नामित एक अन्य निदेशक | - सदस्य |
| (iv) मुख्य अभियन्ता (जिससे प्रकरण सम्बन्धित हो) | - संयोजक |

(D) सामग्री क्रय/कार्य के 10 लाख तक के समस्त प्रकरण कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-295/कार्य/चौदह-पाकालि/2003-3-के/2000 दिनांक 27.02.2003 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित समितियों के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे:-

(i) सामग्री क्रय/कार्य के 2 लाख से 10 लाख तक के समस्त प्रकरण मुख्य अभियन्ता, क्रय/कार्य समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निम्नलिखित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे:-

- | | |
|---|-----------|
| • सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता | - अध्यक्ष |
| • प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा नामित एक मुख्य अभियन्ता | - सदस्य |
| • निदेशक (वित्त) द्वारा नामित उप महाप्रबन्धक/ वरिष्ठतम् उप मुख्य लेखाधिकारी | - सदस्य |

(ii) सामग्री क्रय/कार्य के 2 लाख तक के समस्त प्रकरण अधीक्षण अभियन्ता, क्रय/कार्य समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निम्नलिखित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे:-

- | | |
|--|-----------|
| • सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता | - अध्यक्ष |
| • प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा नामित एक अधीक्षण अभियन्ता | - सदस्य |
| • निदेशक (वित्त) द्वारा नामित वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी | - सदस्य |

2) सामग्री क्रय/कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन तथा निविदा प्रकाशन की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम स्तर-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय के नियंत्रणाधीन इकाइयों हेतु प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन तथा निविदा प्रकाशन की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम स्तर निम्नवत् होगा:-

- | | |
|---|--|
| (i) सामग्री क्रय/कार्य के 10 लाख से अधिक के समस्त प्रकरण | - अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 |
| (ii) सामग्री क्रय/कार्य के 1 लाख से 10 लाख तक के समस्त प्रकरण | - प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 |
| (iii) सामग्री क्रय/कार्य के 1 लाख तक के समस्त प्रकरण | - संयुक्त रूप से निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) एवं निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0 |

- 3) वित्तीय अधिकारों के प्रयोग से पूर्व Financial Concurrence प्राप्त करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पालित की जायेगी तथा क्रय/कार्य जो कराये जाने हैं उनका शत प्रतिशत वित्त पोषण मद के सापेक्ष प्राविधानित बजट धनराशि की उपलब्धता इंगित/सुनिश्चित होने के उपरान्त ही वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।
- 3.1) उपरोक्तानुसार Financial Concurrence प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण पर अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि० का अनुमोदन वांछित होगा।
- 3.2) अपरिहार्य/आकस्मिक प्रकृति के ऐसे क्रय/कार्य, जिनके लिये बजट में प्राविधान उपलब्ध नहीं हैं, को अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि० के अनुमोदनोपरान्त कराया जा सकेगा।
- 4) क्रय/कार्य हेतु उपरोक्तानुसार प्राधिकार एवं परिसीमाओं के निर्धारण के पश्चात निष्पादित क्रय/कार्य के सापेक्ष सृजित देयता का निर्धारित प्रक्रिया से नियमानुसार भुगतान केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ (Central Payment Cell) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पृथक से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5) क्रय/कार्य से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण/विषय जो उपरोक्त प्रावधानों से आवरित नहीं हैं, पर अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि० का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

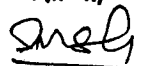
अध्यक्ष

संख्या-370-(1)-कार्य/चौदह-पाकालि/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० लखनऊ।
 3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वितरण/वाणिज्य/वित्त/का० प्ला०) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 4. अधिशासी निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 5. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि० लखनऊ।
 6. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण-द्वितीय, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
 7. अधीक्षण अभियन्ता (जानपद), उ०प्र०पा०का०लि० लखनऊ।
 8. कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 9. कट फाइल।
- ✓ 10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्षा सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाइट, www.UPPCL.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(सुरेन्द्र प्रताप सिंह)

अपर सचिव (प्रथम)